लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शिक्षाकर्मी / 12 / 2009 / 306 भोपाल, दिनांक 16.7.09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला–दतिया एवं दमोह,
मध्यप्रदेश.

विषय:–अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलयन के संबंध में निम्नलिखित तालिका कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संदर्भानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी से प्राप्त टीप क्रमांक एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री जेबियर लकड़ा अध्यापक शा.हाईस्कूल बरधुवां **जिला दतिया**	तत्कालीन मा. शि.मंत्री की नो.शी.क्र.5569 दि.05.08.08	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8. 11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरूष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है ।
2	श्री भगवान दास पटेल सहायक अध्यापक नवीन प्रा.क. शा. कुड़ई **जिला दमोह**	मा.मंत्री, जल संसाधन एवं आवास पर्यावरण का पत्र क्र. 822 दि. 25.06.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8. 11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरूष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है ।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 16.7.09

पृष्ठांकन क्रमांक / शिक्षाकर्मी / 12 / 2009 / 307
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग / जल संसाधन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 306 भोपाल, दिनांक 16.7.09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला–श्योपुर,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलयन के संबंध में निम्नलिखित तालिका कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संदर्भानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती मंजू आर्य अध्यापक शा.मा.वि. दुबड़ी जिला श्योपुर	अध्यक्ष म.प्र. महिला आयोग का अर्द्ध. शा. क्र. 902 दि. 12.06.09	माननीय आयोग से प्राप्त पत्र में आवेदिका को पति से जान से मारने का खतरा होने के कारण श्योपुर जिले से ग्वालियर जिले में स्थानान्तरण की अनुशंसा की गई है । चूंकि आवेदिका अध्यापक श्रेणी में कार्यरत है तथा मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिं. 6.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में संविलियन हेतु आवेदन एवं दोनो निकायों की अनापत्ति प्रमाण पत्र/अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति प्रस्तुत करती है तो नियमानुसार संविलियन की अनुमति देने हेतु विचार किया जा सकेगा !

अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदिका द्वारा कमी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. अध्यक्ष म.प्र. महिला आयोग, भोपाल की ओर आपके अर्द्ध. शा. पत्र क्र. 902 दि. 12.06.09 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 306 भोपाल, दिनांक 16.7.09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला–छिंदवाड़ा,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलयन के संबंध में निम्नलिखित तालिका कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संदर्भानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती स्मृति बैस सं.शा.शि. वर्ग–2 शा.उ.मा.वि. इकलेहरा जिला छिंदवाड़ा	मुख्यमंत्री कार्या. का पत्र क्र. 975 दि.25.06.09 टी.एल. 9.7.09	चूंकि आवेदिका संविदा शाला शिक्षक श्रेणी – 2 के पद पर कार्यरत है । अतः भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को नियमानुसार स्थानांतरण/संविलियन की पात्रता नहीं आती है ।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 307 भोपाल, दिनांक 16.7.09

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्र. 975 दि.25.06.09 के संदभ में सूचनार्थ।
1. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 306 भोपाल, दिनांक 16.7.09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला–सिवनी,,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलयन के संबंध में निम्नलिखित तालिका कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संदर्भानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	संदर्भ	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती रश्मि राय वरिष्ठ अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. पिपरिया जिला होशंगाबाद	मा.मंत्री वित्त विभाग पत्र क्र. 693दि. 23.06.09	आवेदिका वरिष्ठ अध्यापक गृह विज्ञान के पद पर जिला होशंगाबाद पर कार्यरत है । आवेदन पत्र के साथ जिला पंचायत होशंगाबाद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र 4677 दिनांक – 11.6.09 एवं नगर पालिका परिषद सिवनी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 251 दिं. 5.5.09 प्रस्तुत किया है । जिसमें नगरीय क्षेत्र की शास.महारानी लक्ष्मीबाई उमावि. में रिक्त पद होने की स्थिति में संविलियन किया जाता है की अनापत्ति जारी की गई है । चूंकि प्रकरण वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित है ।अतः रिक्त पद /विषयमान की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी से प्राप्त किया जाना होगा । तथा आवेदिका द्वारा अध्यापक सवर्ग में संविलियन आदेश संलग्न नहीं किया गया है ।

अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शाला में सीधी भर्ती अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पद/विषयमान की पुष्टि करते हुए पद रिक्त है या नहीं, की जानकारी से अवगत कराएं एवं इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 307 भोपाल, दिनांक 16.7.09

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर आपके पत्र क्र. 693 दि. 23.06.09 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

15.07.09
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed